रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2015/भाद्र 27, 1937
No. 322] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2015/BHADRA 27, 1937

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
अधिसूचना
मुम्बई, 18 सितम्बर, 2015
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) (संशोधन) विनियम, 2015

सं. सेबी/एल.एडी.एन.आर.ओ./**जी.एन./2015**-16/021.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 तथा कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11, धारा 11क एवं धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) (संशोधन) विनियम, 2015 कहा जा सकेगा ।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014 में:-

(I) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (च) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

" च. "कर्मचारी" से –

(i) कंपनी का वह स्थायी कर्मचारी अभिप्रेत है जो भारत में या भारत के बाहर कार्य कर रहा हो; या

(ii) कंपनी का निदेशक, चाहे वह पूर्णकालिक निदेशक हो अथवा न हो, अभिप्रेत है किंतु जिसमें स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित नहीं है; या

(iii) कंपनी की समुनषंगी (सहायक), चाहे भारत में हो या भारत के बाहर, का अथवा नियंत्री कंपनी (होल्डिंग कंपनी) का कर्मचारी [खंड (i) या (ii) में यथा परिभाषित] अभिप्रेत है,

किंतु जिसमें -

(क) वह कर्मचारी सम्मिलित नहीं है जो संप्रवर्तक (प्रोमोटर) हो या संप्रवर्तक समूह से संबंधित व्यक्ति हो; या

(ख) वह निदेशक सम्मिलित नहीं है जो या तो स्वयं या अपने नातेदार के माध्यम से या किसी निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के माध्यम से, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, कंपनी के बकाया इक्विटी शेयरों के दस प्रतिशत से अधिक धारण करता हो;"

(II) विनियम 3 में, उप-विनियम (13) में, अंत में दिया हुआ चिह्न "।" ",शब्दों और चिह्नों, चाहे बाजार से परे (ऑफ-मार्केट) हो या स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर ।" से प्रतिस्थापित हो जाएगा ।

(III) विनियम 6 में, उप-विनियम (3) में, उसके खंड (ग) में, शब्दों "या सहयुक्त" का लोप हो जाएगा ।

(IV) विनियम 31 में, उप-विनियम (2) में, उसके खंड (ख) में,-

a. उप-खंड (iii) में, शब्द "पाँच", शब्द "तीन" से प्रतिस्थापित हो जाएगा;

b. उप-खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"(iv) न्यास के न्यासी ऐसे न्यास द्वारा धारित शेयरों की बाबत, 28 अक्तूबर 2014 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि तक, मतदान करना जारी रख सकेंगे ।"

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन–III/4/असा०/69–जैड बी/15(210)]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/16/1729, द्वारा 28 अक्तूबर 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th September, 2015

Securities and Exchange Board of India (Shares Based Employee Benefits) (Amendment) Regulations, 2015

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/021.—In exercise of the powers conferred by sections 11, 11A and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 read with section 62 of Companies Act, 2013 and rule 12 of Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, namely:-

1. These regulations may be called the SEBI (Share Based Employee Benefits) (Amendment) Regulations, 2015.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014:-

(I) In regulation 2, in sub-regulation (1), clause (f), shall be substituted with the following, namely –

"f. "employee" means—

(i) a permanent employee of the company who has been working in India or outside India; or

(ii) a director of the company, whether a whole time director or not but excluding an independent director; or

(iii) an employee as defined in clause (i) or (ii) of a subsidiary, in India or outside India, or of a holding company of the company

but does not include—

(a) an employee who is a promoter or a person belonging to the promoter group; or
(b) a director who either himself or through his relative or through any body corporate, directly or indirectly, holds more than ten per cent of the outstanding equity shares of the company; "

(II) In regulation 3, in sub-regulation (13), the symbol "." at the end shall be substituted with the words and symbols ", whether off-market or on the platform of stock exchange."

(III) In regulation 6, in sub-regulation (3), in its clause (c), the words "or associate" shall be omitted.

(IV) In regulation 31, in sub-regulation (2), in its clause (b), -

a. in sub-clause (iii), the word "five" shall be substituted with the word "three";
b. after sub-clause (iii), following new sub-clause shall be inserted, namely-

"(iv) trustees of a trust may continue to vote in respect of shares held by such trust for a period of three years, commencing from 28th of October, 2014."

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./69-ZB/15(210)]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 were published in the Gazette of India on 28th October, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/16/1729.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.